

101  
उत्तर प्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1  
संख्या-29 / 60-1-17-1 / 13(69) / 04  
लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी, 2017

शुद्धि पत्र

5  
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या-33 सन्-2006) द्वारा यथासंशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-56 सन्-2000) की धारा-4 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम-91 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार किशोर न्याय बोर्ड के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या-3452/60-1-16-1/13(69)/04, दिनांक 14.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अंगत कराना है कि नियमावली में प्राविधानानुसार बोर्ड में एक महिला सदस्य का चयन अनिवार्य है। अतः जनपद-अमरोहा में चयनित दो सदस्यों में महिला सदस्य का चयन न होने के कारण क्रमांक-2 पर नियुक्त श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर श्रीमती रेनू अग्रवाल पत्नी विपुल गर्ग, मोहल्ला कटरा गुलामअली, अमरोहा को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

रेणुका कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या-29 (1) / 60-1-17-1 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 3- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, चन्द्रलोक बिल्डिंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग / श्रम विभाग / गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना की प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों / समस्त जिला जजों / समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

- 6- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
- 7- श्री योगेश चन्द्र मुक्ता, मा0 अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
- 8- समस्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

संयुक्त सचिव